

उनवान:- ओमी बनाम शेरसिंह  
दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम  
3/23 वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने  
दावा बाबत इस्तकरारहक, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188  
आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया।  
दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के  
जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन  
जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 29.  
03.2023 को पेश हो।

1025-31  
13/3/23

(गौरव कुमार मित्तल)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

31/3/23 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय  
करौली के आदेशानुसार अवकाश होने के कारण  
पत्रावली आज पेश हुई। वकील उपस्थित  
उपस्थित। P० साहब अग्रण पर पधार है वास्ते  
अग्रिम आदेश दिनांक 5.4.2023 को पेश हो।  
बिन्दु

5/4/23 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी  
न० 1, 3 की ओर से देवेन्द्र कुमार शर्मा एड० ने  
वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे।  
एवं प्रतिवादी न० 2, 4 के नोटिस तामील स्कं व  
पुत्र के कारण होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है व प्रतिवादी  
न० 5, 6, 7 के नोटिस तामील कार्रवाई के कारण होने  
की रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैरेकार सरकार उपस्थित।  
P० साहब करौली मिरिंग में पधार है वास्ते अग्रिम  
आदेश दिनांक 11.4.23 को पेश हो।  
बिन्दु

12/4/23 राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.4.23 का अवकाश  
घोषित होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक	फर्द अहकाम
10.10.25	अवकाश होने के कारण
13.10.25	पञ्जावती घेरा डरी क्लीय उभय पञ्जावती उपविष्ट। वास्ते कायरा गुलाम 22 दिनांक 2.12.25 को चेरा हो
2.12.25	<p style="text-align: center;">✕</p> <p>पञ्जावती घेरा डरी प्राची एवं पाची क्लीय कोर उपविष्ट नही। एर 2 भावाय रिताव गरी एतके वावपद ही कोर उपविष्ट नही एतके पाची का दावा वावत पोषणा क्लेवारी ल्यापी निषेधना रुद्र केरी अमर टापिरी में अरिष्ट किय लला हे, पञ्जावती फेरल गुमार होकर अमर के लम कर शक्ति रफर हो।</p> <p style="text-align: right;">३...</p>